0019242 F291 I-3646/2011 64000/ 3-3-11
(14) 2011 977.00/

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

सत्यमेव जयते

INDIA

12 JAN 2011

वरिष्ठ कोषाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

920796

(1)

विक्रय प्रलेख

0019242

मनमोहन सहाय भटनागर
नायब तहसीलदार
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक
विकास प्राधिकरण

Scanned with CamScanner

नं. 109 रू. 96 में शामिल
किया गया।
12 JAN 2011
रोकड़िया
☆ कोषागार/गौतम बुद्ध नगर ☆

M/S Yamuna Expressway I..
Auth. Gr. Noida

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हज़ार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

वरिष्ठ कोषाधिकारी

12 JAN

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

920797

विक्रय प्रलेख

न.....110.....रु.....20.....
.....110.....में शामिल किया गया।
13 JAN 2011
रोकड़िया
☆ कोषागार/गौतम बुद्ध नगर ☆

विक्रय पत्र

1,279,520.00/	887,000.00	10,000.00	20	10,020.00	1,000	
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग	

श्री बिजेन्द्र कुमार

पुत्र श्री इन्द्र सिंह

व्यवसाय व्यापार

निवासी स्थायी जी-491 अल्फा-2 ग्रेटर नौएडा

अस्थायी पता जी-491 अल्फा-2 ग्रेटर नौएडा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 3/3/2011 समय 5:21PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(राजबहादुर सिंह)
उपनिबन्धक सदर
गौतमबुद्धनगर
3/3/2011

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री बिजेन्द्र कुमार
पुत्र श्री इन्द्र सिंह
पेशा व्यापार
निवासी जी-491 अल्फा-2 ग्रेटर नौएडा

क्रेता

यमुना एक्सप्रेस-वे औ0वि0प्रा0द्वारा मनमोहन सहाय भटनागर
पेशा नौकरी
निवासी बीटा ग्रेटर नौएडा

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री अतर सिंह
पुत्र श्री हरिदास
पेशा कृषि
निवासी पल्ला जी0बी0नगर

व श्री नानकचन्द
पुत्र श्री मान सिंह
पेशा कृषि
निवासी चक जलालाबाद जी0बी0नगर

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(राजबहादुर सिंह)
उपनिबन्धक सदर
गौतमबुद्धनगर
3/3/2011

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

920798

विक्रय प्रलेख

नं. 111 रु. 10 में शामिल
किया गया।
12 JAN 2011
रोकड़िया
★ कोषागार/गौतम बुद्ध नगर ★

विक्रेता

Registration No.: 3646 Year : 2,011 Book No.: 1

0101 बिजेन्द्र कुमार

इन्द्र सिंह

जी-491 अल्फा-2 ग्रेटर नौएडा

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

कार्यालय कोषागार
गौतम बुद्ध नगर
26 FEB 2011
वरिष्ठ कोषाधिकारी

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(9)

M 474846

विक्रय पत्र

मनमोहन सहाय भटनागर
नायब तहसीलदार
यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक
विकास प्राधिकरण

Scanned with CamScanner

नं. 2696 रु. 1500
2695 में शामिल
किया गया।

26 FEB 2011

रोकड़िया

★ कोषागार/गौतम बुद्ध नगर ★

क्रेता

Registration No. : 3646 Year : 2,011 Book No. : 1

0201 यमुना एक्सप्रेस-वे औ0वि0प्रा0द्वारा मनमोहन सहाय भटनागर

बीटा ग्रेटर नौएडा

नौकरी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

कार्यालय कोषागार
गौतम बुद्ध नगर

26 FEB 2011

एक हजार रुपये

वरिष्ठ कोषाधिकारी

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 474847

मनमोहन सहाय भटनागर
यमुना एक्सप्रेस व औद्योगिक
विकास प्राधिकरण

Scanned with CamScanner

नं. 2617 रू. 1000/- में शामिल
2613 किया गया।

26 FEB 2011

रोकड़िया

☆ कोषागार/गौतम बुद्ध नगर ☆

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

कार्यालय कोषा...
गौतम बु...
26 FEB 2011
वरिष्ठ कोषाधि...

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6)

M 474848

विक्रय प्रलेख

मनमोहन सहाय भटनागर
नायब तहसीलदार
यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक
विकास प्राधिकरण

Scanned with CamScanner

नं. 2698 रु. 1000
2695 में शामिल
किया गया।
26 FEB 2011
रोकड़िया
☆ कोषागार/गौतम बुद्ध नगर ☆

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

कार्यालय कोषागार
गौतम बुद्ध नगर
26 FEB 2011
वरिष्ठ कोषाधिकारी

एक हज़ार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 474849

(7)

निरस्त प्रलेख

मनमोहन सहाय भटनागर
नायब तहसीलदार
यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक
विकास प्राधिकरण

Scanned with CamScanner

नं. 2611 रू. 15000
2615 में शामिल
किया गया।

26 FEB 2011

रोकड़िया

☆ कोषागार/गौतम बुद्ध नगर ☆

(8)

विक्रय प्रलेख

भूमि का मूल्यः 12,79,520.00

स्टाम्प शुल्कः 64,000.00

यह विक्रय प्रलेख आज दिनांक 3./3./11. को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष मे उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रियल ऐरिया डवलपमेंट एक्ट 1976 की धारा 6 मे दिये गये उपबन्धों तथा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बोर्ड की 23वीं बैठक दिनांक **24.07.08** के मद संख्या 8 (ii) व 24वीं बोर्ड बैठक दिनांक **18.09.2008** की मद संख्या 9 (i) मे लिये गये निर्णय के अन्तर्गत निष्पादित किया जा रहा है। उक्त बोर्ड बैठकों में लिए गये निर्णय के अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को अपने अधिसूचित क्षेत्र में विकास हेतु आवश्यक भूमि को समझौते के आधार पर क्रय करने की अधिकारिता है और इस अधिकारिता के अन्तर्गत यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण विक्रेतागण से इस विक्रय प्रलेख में वर्णित भूमि क्रय कर रहा है।

प्रथम पक्ष/ विक्रेतागण - **विजेन्द्र कुमार पुत्र इन्द्र सिंह नि0 जी0-491, अल्फा-2, ग्रेटर नौएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर ।**

एवं

द्वितीय पक्ष / क्रेता- यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्व नगर द्वारा अधिकृत नायब तहसीलदार **श्री मनमोहन सहाय भटनागर, नायब तहसीलदार।**

मनमोहन सहाय भटनागर
नायब तहसीलदार
यमुना एक्सप्रेस व औद्योगिक
विकास प्राधिकरण

Scanned with CamScanner

(7)

यह कि

1. हम प्रथम पक्ष / विक्रेता ग्राम **कादरपुर** तहसील **सदर,** जिला गौतमबुद्धनगर के **खाता संख्या 160, 385, 398, 484 खसरा संख्या 886/0.0487, 883/0.0240, 884/0.0240, 885/0.0487 क्षेत्रफल 0.1454 है0** भूमि के स्वामी हैं तथा उक्त भूमि का निर्विवाद स्वामित्व प्रथम पक्ष के पास है एवं उक्त भूमि के सम्बन्ध मे कोई वाद किसी न्यायालय मे विचाराधीन नही है।

2. प्रथम पक्ष/विक्रेता ग्राम **कादरपुर** तहसील **सदर,** जिला गौतमबुद्धनगर के **खाता संख्या 160, 385, 398, 484 खसरा संख्या 886/0.0487, 883/0.0240, 884/0.0240, 885/0.0487 क्षेत्रफल 0.1454 है0** भूमि का विक्रय द्वितीय पक्ष/क्रेता को रू0 880 प्रति वर्गमीटर की दर पर कुल रू0 **12,79,520/-** के प्रतिफल पर सहमत हूँ/हैं एवं द्वितीय पक्ष इस भूमि को क्रय करने को इच्छुक है।

3. प्रथम पक्ष ने विक्रय की जाने वाली भूमि की सम्पूर्ण विक्रय धनराशि **रूपये 12,79,520/- (बारह लाख उन्यासी हजार पॉच सौ बीस रूपये मात्र)** द्वितीय पक्ष से आज दिनांक 3/3/011 को रेखांकित **चैक सं0 529799 धनराशि 12,79,520/- ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स, ग्रेटर नौएडा** दिनांक 25.02.11 द्वारा प्राप्त कर ली है। समझौते के अधीन दी गयी भूमि पर चूंकि आज की तिथि में लागू दर से प्रतिफल प्राप्त किया गया है इसलिए द्वितीय पक्ष पर प्रथम पक्ष के किसी ब्याज आदि की देयता शेष नहीं है। इस प्रकार आज की तिथि के पश्चात विक्रेता के पक्ष में कोई धनराशि भुगतान हेतु शेष नहीं है।

4.दोनों पक्ष इस विक्रय-प्रलेख को निष्पादित करने एवं नियमानुसार पंजीकृत कराने को इच्छुक एवं सहमत है ।

मनमोहन सहाय भटनागर
नायब तहसीलदार
यमुना ... औद्योगिक
विकास प्राधिकरण

Scanned with CamScanner

(10)

5. क्रेता/द्वितीय पक्ष द्वारा क्रय मूल्य पर देय स्टॉम्प शुल्क का नियमानुसार भुगतान कर दिया है । अब यह विक्रय प्रलेख निम्न प्रकार पढा जाये-

6. विक्रय की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः-

क-	ग्राम -	**कादरपुर**
ख-	खाता संख्या -	**160, 385, 398, 484**
ग-	खसरा संख्या -	**886, 883, 884, 885**
घ-	कुल क्षेत्रफल -	**0.1454 हे0**

7. प्रथम पक्ष ने उपरोक्त वर्णित भूमि का कब्जा व दखल द्वितीय पक्ष को दे दिया है ।

8. प्रथम पक्ष ने उपरोक्त भूमि क्षेत्रफल **0.1454 हे0** की सम्पूर्ण विक्रय धनराशि **चैक सं0 529799 धनराशि 12,79,520/- ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स, ग्रेटर नौएडा** दिनांक 25.02.11 के माध्यम से द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर ली है।

9. प्रथम पक्ष को यह ज्ञात है कि द्वितीय पक्ष की स्थापना उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम-1976 के तहत क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु की गई है एवं इस विक्रय प्रलेख के द्वारा विक्रय की जा रही भूमि की सार्वजनिक उपयोग एवं सुनियोजित विकास हेतु आवश्यकता है।

10. विक्रय की जाने वाली भूमि पर कोई धार्मिक स्थल मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान आदि नहीं है। यह भूमि कृषि योग्य भूमि है तथा किसी भी प्रकार से ग्राम सभा, सीलिंग, भूदान अथवा सरकारी भूमि नहीं है।

11. यह कि विक्रेता उक्त वर्णित भूमि का निर्विवाद संक्रमणीय भूमिधर स्वामी है। यह कि विक्रेता को उक्त भूमि प्राधिकरण को विक्रीत करने का सर्वाधिकार प्राप्त है तथा प्रश्नगत भूमि के स्वत्व के संबंध में कोई भी वाद/विवाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन/योजित नहीं है।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा जो विक्रय धनराशि का भुगतान प्रथम पक्ष को किया गया है वह प्रथम पक्ष की पूर्ण सहमति के उपरान्त किया गया है भविष्य मे प्रथम पक्ष एवं उसके उत्तराधिकारी प्रतिफल के सम्बन्ध में कोई वाद/विवाद किसी भी न्यायालय में योजित नहीं

मनमोहन सहाय भटनागर
नायब तहसीलदार
यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक
विकास प्राधिकरण

Scanned with CamScanner

करेगें । प्रथम पक्ष इस तथ्य से भी सहमत है कि विक्रय की गयी भूमि के सम्बन्ध में जिस विक्रय धनराशि का भुगतान प्रथम पक्ष को किया गया है वह अधिकतम दर के आधार पर किया गया है इसलिए प्रथम पक्ष स्वेच्छा से द्वितीय पक्ष के पक्ष में यह विक्रय प्रलेख निष्पादित कर रहा है।

13. द्वितीय पक्ष द्वारा दिये जा रहे इस भूमि के मूल्य में समस्त प्रतिफल सम्मिलित है । यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की निर्धारित नीति के अनुसार मूल काश्तकार को उसकी अर्जित भूमि के बदले आबादी भूमि आवंटित की जाएगी।

14. विक्रय की जाने वाली भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उपबन्धो के अधीन अर्जित की जा सकती है और अभिनिर्णय की दर से भूमि की कीमत काफी कम होगी परन्तु भूमि की तत्काल आवश्यकता के कारण यह भूमि बैनामा द्वारा ली जा रही है अतः इस बैनामा का विक्रय मूल्य इस ग्राम की अन्य भूमि जो भविष्य में अर्जित की जायेगी उसके लिए उदाहरणीय (Exampler) नहीं मानी जायेगी ।

अतः आज दिनांक 3/3/011 को कार्यालय उप निबन्धक **सदर** मे, मैं/हम अपनी राजी-खुशी से पूरे होश-हवास में बिना किसी दबाव के एवं स्थिर चित्त की हालत में निम्न साक्षियों के समक्ष, सोच-समझकर, पढ-सुनकर यह विक्रय प्रलेख तहरीर व तसदीक करता हूँ/करते हैं। आज के बाद मुझे तथा मेरे वारिसान/उत्तराधिकारी को इस विक्रय प्रलेख पर आपत्ति का कोई अधिकार नहीं होगा ।

किसी भी न्यायालय में इस विक्रय प्रलेख के विरूद्ध प्रथम पक्ष और उनके वारिसान को कोई भी वाद योजित करने का अधिकार नहीं होगा । विक्रेतागण व उसके वारिसान यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की समस्त शर्तो से पाबन्द रहेगें और प्रतिकर या अन्य किसी कारण से कोई विवाद उत्पन्न नहीं करेंगे। प्राधिकरण जिस भी रूप में चाहे विक्रीत भूमि का उपभोग व उपयोग कर सकेगा जिसमें विक्रेतागण को कोई आपत्ति नहीं होगी।

मनमोहन सहाय भटनागर
नायब ...
यमुना एक्सप्रेसवे
विकास प्राधिकरण

Scanned with CamScanner

(12)

विक्रेता/प्रथम पक्षः **विजेन्द्र कुमार पुत्र इन्द्र सिंह नि0 जी0-491, अल्फा-2, ग्रेटर नौएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर ।**

क्रेता/द्वितीय पक्ष –

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्व नगर द्वारा अधिकृत नायब तहसीलदार **श्री मनमोहन सहाय भटनागर, नायब तहसीलदार।**

साक्षी	नाम व पता	हस्ताक्षर
1.	अनंत सिंह S/O हरिदास पल्ला	
2.	नितिन चन्द S/O भागसिंह नि० [illegible]	

<u>बैनामें का आलेख पक्षकारों द्वारा स्वयं तैयार किया गया</u>

मनमोहन सहाय भटनागर
नायब तहसीलदार
यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक
विकास प्राधिकरण

Scanned with CamScanner